

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-17/एल-01-04/2025

पटना, दिनांक:- / /2026

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-889(17), दिनांक-07.08.2025 के द्वारा डॉ० चंचल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक सम्प्रति सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को दिनांक-20.08.2025 से 07.09.2025 तक की अवधि में विदेश (कनाडा) यात्रा की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2. डॉ० चंचल द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त स्वीकृत आदेश के आलोक में ससमय कनाडा का वीजा नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है, एवं उक्त अवधि में वे अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हो कर सेवा दे रही हैं।

3. अतः उक्त के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-889(17), दिनांक-07.08.2025 को निरस्त किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल-01-04/2025-595(17) पटना, दिनांक:- 22/05/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० चंचल, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक सम्प्रति सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।